

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक: 21 नवम्बर, 2009 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सेटर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:-

1.	प्रो० हर्ष कुमार सहगल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री पी०सी० शर्मा	सदस्य
3.	श्री जगेन्द्र स्वरूप	सदस्य
4.	डॉ० आर०पी० श्रीवास्तव	सदस्य
5.	डॉ० कौ०क० बहल	सदस्य
6.	डॉ० नन्दलाल	सदस्य
7.	प्रो० आर०सी० कटियार	सदस्य
8.	डॉ० सुभाष चन्द्र अग्रवाल	सदस्य
9.	डॉ० शिशुपाल सिंह भदौरिया	सदस्य
10.	डॉ० हेमलता सिंह	सदस्य
11.	डॉ० जितन्द्र कुमार सिंह	सदस्य
12.	डॉ० बी०क० शुक्ला	सदस्य
13.	डॉ० एस०क० श्रीवास्तव	सदस्य
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, वित्त अधिकारी	सदस्य
15.	श्री महेश चन्द्र, कुलसचिव	सांचेव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों डॉ० कौ०क० बहल, डॉ० सुभाष चन्द्र अग्रवाल, डॉ० शिशुपाल सिंह भदौरिया, डॉ० हेमलता सिंह, डॉ० जितन्द्र कुमार सिंह, डॉ० बी०क० शुक्ला एवं डॉ० एस०क० श्रीवास्तव को बधाई देते हुए परिषद के समस्त सदस्यों का स्वागत किया एवं परिषद के पूर्व सदस्यों डॉ० एस०एस० तोमर, डॉ० आनन्द स्वरूप, प्रो० एल०सी० मिश्रा, डॉ० एस०क० अवरथी, डॉ० एच०एन० सिंह, डॉ० अजब सिंह यादव, एवं डॉ० एस०क० सक्सेना के बहुमूल्य सुन्नावों एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं०-१: कार्यपरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक : 30.06.2009 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

परिषद द्वारा गत बैठक दिनांक 30.06.09 की मद संख्या-४ के तृतीय पंक्ति में "प्रदान किया गया" के उपरान्त "तथा यह अवकाश नियमावली तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी" को जोड़ते हुए शेष कार्यवाही यथावत् रखते हुए सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।

मद सं-२ विश्वविद्यालय के अनुदानित एवं स्ववित्तपौषित योजनान्तर्गत संचालित शैक्षिक विभागों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु सम्पन्न हुई चयन समिति की संस्तुतियाँ के अनुमोदन पर विचार।

(क) (1) आई०बी०एम० में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रोफेसर के ०१ अधिसंख्या पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: २७.०८.०९ | ३ बजे बैठक

परिषद द्वारा आई०बी०एम० में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रोफेसर के ०१ पद (पे-बैण्ड: ३७४००-६७००० ग्रेड पे: १०,०००) पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ० मुकेश रंगा पुत्र श्री आर०एस० रंगा को श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

(2) आई०बी०एम० में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रत्येक हेतु रीडर के ०१-०१ पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दि २७.०८.०९ एवं २८.०८.०९।

परिषद द्वारा आई०बी०एम० में रीडर के ०३ पदों पर चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों का (पे-बैण्ड: १५६००-३९००० ग्रेड पे: ७,०००) में श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई:-

रीडर ०१ पद अनारक्षित-

- (i) डॉ० सुधांशु पाण्डिया पुत्र डॉ० निर्मल कुमार
- (ii) डॉ० हरि गोविन्द मिश्रा पुत्र प्रो० एम०एन० मिश्रा (प्रतीक्षा सूची)

रीडर ०१ पद अन्य पिछड़ा वर्ग-

- (i) श्रीमती अंशु यादव पत्नी श्री राहुल यादव
- (ii) श्री विवक सिंह सचान पुत्र श्री वाई०एस० सचान (प्रतीक्षा सूची)

रीडर ०१ पद अनुसूचित जाति-

(3) आई०बी०एम० में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रवक्ता के ०१ पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: २८.०८.०९।

परिषद द्वारा आई०बी०एम० में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रवक्ता के ०१ पद (पे-बैण्ड: १५६००-३९००० ग्रेड पे: ६,०००) पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थी को श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई-

- (i) श्री सुधीर कुमार वर्मा पुत्र श्री आर०बी० वर्मा।
- (ii) श्री अशोक कुमार बुन्दरा पुत्र श्री वेंकटरत्नम् (प्रतीक्षा सूची)

(ख) (1) यूआई0ई0टी0 के कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत) में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रवक्ता के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 29.10.2009।

परिषद द्वारा कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रवक्ता के 01 पद पर ₹0 15000/- प्रतिमाह नियत वेतन पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए श्री रजवन्त सिंह राव पुत्र श्री राम कुबेर का श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

(2) यूआई0ई0टी0 के गणित विभाग (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत) में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रवक्ता के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक 31.10.09।

परिषद द्वारा गणित विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रवक्ता के 01 पद पर ₹0 15000/- प्रतिमाह नियत वेतन पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामतेज का श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

(3) यूआई0ई0टी0 के मैकेनिकल इंजी0 विभाग (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत) में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित उपाचार्य के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक 31.10.09।

परिषद द्वारा मैकेनिकल इंजी0 विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित उपाचार्य के 01 पद पर ₹0 25000/- प्रतिमाह नियत वेतन पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए श्री विजय कुमार पुत्र श्री लालता प्रसाद का श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

(4) यूआई0ई0टी0 के इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन इंजी0 विभाग (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत) में अनु0जाति हेतु आरक्षित उपाचार्य के 01 पद पर चयन समिति की बैठक दिनांक 08.11.09।

परिषद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्यूटर इंजी0 विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित उपाचार्य के 01 पद पर ₹0 25000/- प्रतिमाह नियत वेतन पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए श्री नीरज कुमार पुत्र श्री दयानन्द का श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

मद सं-3: विज्ञापन संख्या: सी.एस.जे.एम.यू./ए.आर.कैम्प/567/2009 दिनांक: 11.08.09 द्वारा विज्ञापित समूह-ग के अन्तर्गत बैकलॉग हेतु चिह्नांकित कनिष्ठ लेखा लिपिक के 01 पद (अनुसूचित) पर चयन हुए सम्पन्न हुई चयन समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम (In order of Merit) में नियुक्त प्रदान की गई—
 (i) श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीराम
 (ii) श्री ललित कुमार पुत्र श्री सोने लाल कुरुटा (प्रतीक्षा सूची)

मद सं-4: विद्यापरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक: 24.07.09 के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार। विद्यापरिषद की तददिनांकित बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

परिषद द्वारा विद्यापरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 24.07.09 की कार्यवाही को विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में कार्यपरिषद का एजेण्डा तैयार करते समय यह भी उल्लेख किया जाय कि कार्यपरिषद द्वारा विद्या परिषद के किन-किन निर्णयों/संस्तुतियों को अनुमोदित किया जाना है।

मद सं-5: परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 08.10.09 में मद सं-9 शोध उपाधि से कुल 135 पी.एचडी./डी.लिट् शोधकर्ताओं को अलंकृत किये जाने के लिए निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार। परीक्षा समिति की तददिनांकित बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

परिषद ने परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 8.10.09 में मद सं-9 पर शोध उपाधि से कुल 135 पी.एचडी./डी.लिट् शोधकर्ताओं को अलंकृत किये जाने के निर्णय को अनुमोदित किया।

मद सं-6: विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2008-09 की एम.एससी. (प्रथम वर्ष) रसायन शास्त्र की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर अन्य परीक्षकों से कराये गये मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रकरण जो परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 08.10.09 के मद संख्या-05 पर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, के सम्बन्ध में परीक्षा समिति में लिये गये निर्णय पर अनुमोदन पर विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2008-09 की एम.एससी. (प्रथम वर्ष) रसायन शास्त्र की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत परिषद ने सम्पर्क विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि प्रकरण की विस्तृत जांच विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली के अन्तर्गत किये जाने हेतु किसी शिक्षाविद् को जांच अधिकारी नामित किया जाय एवं जांचोपरान्त, जिसमें सम्बन्धित शिक्षकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्राप्त जांच अधिकारी जांच-आख्या कार्यपरिषद की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु कुलपति जी को प्रस्तुत करेंगे। परिषद ने जांच अधिकारी नामित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी को अधिकृत भी किया।

मद सं०-७: विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता से परिषद को संसूचित किया जाना। सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों/ नवीन पाठ्यक्रमों की सूची परिषद के अवलोकनार्थी संलग्न है।

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों/ नवीन पाठ्यक्रमों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों की सम्बद्धता से परिषद संसूचित हुई।

मद सं०-८: विश्वविद्यालय परिसर में स्वित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित संस्थानों/ विभागों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-214/ 70-4/ 2000 -7(7)/ 94 दिनांक 04 फरवरी, 2000 के अन्तर्गत मानदेय के रूप में प्राप्त होने वाले नियत वेतन के स्थान पर वेतनमान प्रतिमाह प्रदान किये जाने हेतु सैद्धान्तिक निर्णय लिये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर में स्वित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित संस्थानों/ विभागों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-214/ 70-4/ 2000-7(7)/ 94 दिनांक 04 फरवरी, 2000 के अन्तर्गत मानदेय के रूप में प्राप्त होने वाले नियत वेतन के स्थान पर वेतनमान प्रतिमाह प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत विचार विमर्श किया। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के रथायी अधिवक्ता से प्रकरण में प्राप्त विधिक परामर्श के दृष्टिगत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किये जाने हेतु परिषद ने अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की। परिषद ने यह भी निर्देशित किया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रकरण, जिसका उल्लेख विधिक परामर्श में किया गया है के विषय में विश्वविद्यालय के कुलसंचिव को पत्र प्रेषित कर यह अनुरोध कर लिया जाए कि याचिका संख्या-1613(SS)/ 2005 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये अन्तिम आदेश के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? यदि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा वेतनमान की सुविधा उपलब्ध करा दी है तो इस विश्वविद्यालय में भी अनुमन्य करा दी जाय।

मद सं०-९: विश्वविद्यालय परिसर में स्वित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में कार्यरत डॉ० प्रवीन कटियार, प्रवक्ता, का अपनी पूर्व संस्था जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर में माह जुलाई, 2007 में प्राप्त किये गये वेतन रु० 9000/- संरक्षित किये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में कार्यरत डॉ० प्रवीन कटियार, प्रवक्ता, का अपनी पूर्व संस्था जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर में माह जुलाई, 2007 में प्राप्त किये गये वेतन रु० 9000/- संरक्षित किये जाने का दिनिश्चय किया गया।

मद सं०-१०: विश्वविद्यालय परिसर के शारीरिक शिक्षा विभाग में कार्यरत डॉ० आर०पी० सिंह, प्रवक्ता, द्वारा पूर्व संस्था श्री जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ में प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान (रु० 10000-325-15200) के रूप में माह जुलाई, 2006 में प्राप्त किये गये मूल वेतन रु० 10325/- को शासनादेश संख्या- 3741/पन्द्रह (15)-41(1)/ 80 दिनांक: 20 जून, 1989 के अनुसार संरक्षित किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने पर विचार।

शारीरिक शिक्षा विभाग में कार्यरत डॉ आरपौरो सिंह, प्रवक्ता, द्वारा पूर्व संरथा श्री जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ में प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान ₹10000-325-16200) के रूप में माह जुलाई, 2006 प्राप्त किये गये मूल वेतन ₹0 10325/- को। शासकीय संख्या 3741/पन्द्रह (15)-41(1)/80 दिनांक 20 जून, 1989 के अनुसार संरक्षित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

मद सं-11: विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्ष 2010-11 से छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क से सम्बन्धित शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किये जाने पर विचार।

परिषद ने विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्ष 2010-11 से छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क से सम्बन्धित शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की तथा साथ ही यह भी विनिश्चय किया कि कुलपति बढ़ोत्तरी के औचित्य की समीक्षा स्वयं कर लें।

मद सं-12: कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (कूटा) के महामंत्री द्वारा प्रेषित मांग पत्र पर जिसमें परीक्षा एवं विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों हेतु देय स्थानीय यात्रा भत्ता एवं प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित अन्य दरों में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है पर विचार।

परिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्ष 2010-11 से छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क से सम्बन्धित शुल्क वृद्धि के उपरान्त ही परीक्षा एवं विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों हेतु देय स्थानीय यात्रा भत्ता एवं वेश परीक्षा सम्बन्धित अन्य दरों में वृद्धि की जाए।

मद सं-13: विश्वविद्यालय परिसर में निवास कर रहे छात्र/छात्राओं, कर्मचारियों एवं शिक्षकों आदि के दृष्टिगत परिसर में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किये जाने पर विचार। प्राचार्य, जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज, कानपुर से प्राप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट परिषद के अवलोकनार्थ संलग्न है।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निवास कर रहे छात्र/छात्राओं, कर्मचारियों एवं शिक्षकों आदि के दृष्टिगत परिसर में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्राचार्य, जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज, कानपुर से प्राप्त प्रोजेक्ट पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

मद सं-14: सचिव, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, डी.ए.वी. कालेज, कानपुर के प्रत्यावेदन पर जिसमें स्वित्तपोषित पाठ्यक्रम के छात्रों से विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक व्यय के रूप में 5 प्रतिशत धनराशि न वसूले जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है, पर विचार।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्वित्तपोषित महाविद्यालयों एवं अनुदानित महाविद्यालयों के स्वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं से विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासन नेक व्यय के रूप में 5 प्रतिशत धनराशि वसूले जाने के सम्बन्ध में कुलपति को सम्बोधित महामहिम कुलाधिपति के सचिव के पत्र संख्या-इ 3946/जी.एस.0 दिनांक 13.07.98 एवं कुलसचिव को सम्बोधित विशेष सचिव, उच्च शिक्षा उम्प्र० शासन के

पत्र संख्या—मंत्री 17 / सत्तर-1-08-56(14) / 07 दिनांक: 07.07.2008 के दृष्टिगत विस्तृत विचारोपशान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति/आख्या, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में योचित याचिका एवं जिसमें पारित आदेश की स्थिति आदि का उल्लेख हो, से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाए। एवं उ0प्र0 शासन से प्राप्त आदेश के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक व्यय के रूप में 5 प्रतिशत समस्त महाविद्यालयों अर्थात् स्वयंसेवित महाविद्यालय के साथ-साथ अनुदानित एवं शासकीय महाविद्यालयों से भी लिया जाय।

मद सं-15: विश्वविद्यालय में 24वें दीक्षान्त समारोह के आयोजन तथा दीक्षान्त समारोह में मानद उपाधि (Honoris Causa) से अलंकृत किये जाने एवं मेरिट में आए छात्र/छात्राओं को कुलाधिपति, कुलपति एवं अन्य प्रायोजित स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में 24वें दीक्षान्त समारोह का दिनांक: 05.01.2010 को आयोजित किये जाने हेतु महामहिम कुलाधिपति से प्राप्त अनुमति से अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत कराया कि मानद उपाधि से अलंकृत किये जाने एवं समारोह के मुख्य अतिथि के सम्बन्ध में महामहिम कुलाधिपति की सहमति प्राप्त की जा रही है।

अनुपूरक कार्यसूची

मद सं-1: विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों पर चयन हुत किये गये विज्ञापन संख्या: सी.एस.जे.एम.यू./02/2009 दिनांक: 08.06.09 द्वारा विज्ञापित जीवन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर एवं प्रवक्ता के पदों पर आहूत चयन समिति की निम्नांकित संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(क) जीवन विज्ञान विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रोफेसर के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 23.09.09।

परिषद द्वारा जीवन विज्ञान विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रोफेसर के 01 पद (पि-बैण्ड: 37400-67000 ग्रेड पे: 10,000) पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ अशर्फ़ालाल जाटव पुत्र श्री सुखलाल जाटव को श्रेष्ठता क्रम (In order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

(ख) जीवन विज्ञान विभाग में कैरियर एडवार्समेंट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर प्रोन्ति हेतु सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दि 0 23.09.09।

परिषद द्वारा जीवन विज्ञान विभाग में कैरियर एडवार्समेंट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर प्रोन्ति हेतु चयन समिति की संस्तुति को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित उपचार्यों को प्रोफेसर के पद (वेतनमान 1600-450-20900-500-22400) पर 3-हता तिथि से प्रोन्ति प्रदान की गई—

परिषद द्वारा
महाविद्यालय के
संस्थानीय समिति

प्राप्ति की घोषणा की

- (i) डॉ० केंको बहल
(ii) डॉ० नन्दलाल

(ग) जीवन विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु सम्पन्न हुई स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक: 23.09.09।

परिषद द्वारा जीवन विज्ञान विभाग में कैरियर एडवास्मेट योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित प्रवक्ताओं को अहता तिथि से वरिष्ठ वेतनमान (10000-325-15200) प्रदान किया गया।

- (i) डॉ० सुधीर कुमार अवस्थी
(ii) डॉ० राजेश कुमार

(घ) जीवन विज्ञान विभाग में अनारक्षित प्रवक्ता के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 23.09.09 एवं 24.09.2009।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि प्रवक्ता पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की अहता की जांच हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा कतिपय अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित न कराये जाने के कारण चयन समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया जाना नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। अतएव, परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(8) के अन्तर्गत महामहिम कुलपति को संदर्भित करते हुए इस पद पर चयन हेतु पुनर्विज्ञापन कर चयन की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

मद सं०-२: विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के प्राचार्य के अनुरोध दिनांक 08.10.2009 जिसमें चिकित्सा महाविद्यालयों में सम्पन्न होने वाले प्रायोगिक परीक्षाओं के निमित्त वाह्य परीक्षकों को यात्रा-भत्ता आदि का भुगतान महाविद्यालय स्तर पर ही किये जाने हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के प्राचार्य के अनुरोध जिसमें चिकित्सा महाविद्यालयों में सम्पन्न होने वाले प्रायोगिक परीक्षाओं के निमित्त वाह्य परीक्षकों को यात्रा-भत्ता आदि का भुगतान महाविद्यालय स्तर पर ही किये जाने हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को यह भी अवगत कराया कि शैक्षणिक विभागों में चयन हेतु चयन समितियों में आने वाले विषय विशेषज्ञों/अन्य सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लेने हेतु मानदेय की मांग की जाती है। जिसके कारण यदा-कदा चयन समिति सम्पन्न कराने में विलम्ब भी होता है। अतएव, परिषद ने

उक्त के दृष्टिगत ₹0 1000/- प्रति सदस्य की दर से मानदेव प्रदान किये जाने की संद्वान्ति सहमति प्रदान की तथा यह भी विचार व्यक्त किया कि वित्त समिति के निर्णय के उपरान्त ही इसका क्रियान्वयन किया जाए।

मद सं-3: विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के ईक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परीक्षा सम्बन्धित कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण किये जाने के प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक सहमति दिये जाने पर विचार।

परिषद ने उपर्युक्त के सम्बन्ध में मद संख्या-12 में लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई।

मद सं-4: विश्वविद्यालय द्वारा विहापित रिक्त कम्यूटर प्रांग्रामर के पदों पर चयन हेतु चयन समिति के गठन पर विचार।

परिषद ने समूह-ए, ग एवं घ के पदों पर चयन हेतु चयन समिति के गठन हेतु सर्वसम्मति से कुलपति जी को अधिकृत करते हुए यह निर्णय लिया कि गठित चयन समिति से कार्यपरिषद को आगामी बैठक में संसूचित किया जाए।

मद सं-5: विश्वविद्यालय में वर्ष 2000 से 2004 के मध्य सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण व ग्रेचुटी के भुगतान हेतु निर्णय लिये जाने पर विचार।

परिषद ने अर्जित अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-29712/2007, केंद्रीकृत एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने के निवेश प्रदान किये तथा यह भी निर्णय लिया कि यदि वर्ष 2000 से 2004 के मध्य सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नियमानुसार ग्रेचुटी का भुगतान किया जा सकता हो तथा इस सम्बन्ध में कोई भी याचिका माननीय उच्च न्यायालय में योजित न हो तो ग्रेचुटी के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की।

अन्य बिन्दु (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

मद सं-1: विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय महाविद्यालयों में संस्थागत कक्षाओं में सत्र 2009-10 में प्रवेश हेतु स्वीकृत/निर्धारित सीटों के सापेक्ष अधिक प्रवेश लिये गये छात्र/छात्राओं को परीक्षा फार्म निर्गत किये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की सत्र 2009-10 में संस्थागत कक्षाओं में कतिपय सम्बद्ध अनुदानित/स्ववित्तणेषित महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित/स्वीकृत सीटों के सापेक्ष लिये गये अधिक प्रवेश के दृष्टिगत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान सत्र में इन महाविद्यालयों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करते हुए कि "ईक्षिक सत्र 2010-11 से प्रत्येक पाठ्यक्रमों में स्वीकृत/निर्धारित सीटों पर ही प्राप्त

लिये जायेंगे तथा यदि निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश लिये जाते हैं तो उनकी सम्बद्धता समाप्त कर दी जाए के उपरान्त अधिक प्रवेशित छात्र/छात्राओं को भी परीक्षा फार्म निर्णत किया जाए।

मद सं0-2:

विश्वविद्यालय की सत्र 2009-10 से संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्रों को लिये गये निर्णय के अनुमोदन पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की सत्र 2009-10 से संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्रों को ऑनलाइन की गयी व्यवस्था/प्रक्रिया पर परीक्षा समिति को बैठक दिनांक: 08.10.09 को मद संख्या-6 पर लिये गये निर्णय पर सर्वसमति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए परिषद की बैठक समाप्त हुई।

[Signature]
(हर्ष कुमार राहगल)

कुलपति / अध्यक्ष

[Signature]
27/11/09
(महेश चन्द्र)
कुलसचिव / सचिव